<u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,</u> <u>जिला-बालाघाट (म.प्र.)</u>

<u>आप. प्रक. क.—552 / 2011</u> <u>संस्थित दिनांक—26.07.2011</u> <u>फाईलिंग क.234503001172011</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)		<u>अभियोजन</u>
<u> </u>	//	

झुम्मुकलाल पिता सहदेव यादव, उम्र—50 वर्ष, जाति अहीर निवासी—ग्राम छिन्दीटोला, थाना बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

<u>आरोर्प</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-07/09/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 325 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—08.06.2011 को 01:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम छिन्दीटोला में लोकस्थान पर फरियादी नैनसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर आहत नैनसिंह को मारपीट कर जमीन पर पटक कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—11.06.2011 को फरियादी नैनसिंह द्वारा आरोपी झुम्मुकलाल के विरुद्ध थाना बैहर में आकर रिपोर्ट लिखाई की दिनांक—08.06.2011 को ग्राम छिन्दीटोला में आरोपी झुम्मुकलाल द्वारा उसे गाली—गलौज कर जमीन पर पटक दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—67/11 पंजीबद्ध रिपोर्ट दर्ज किया। विवेचना के उपरांत दिनांक—20.06.2011 को फरियादी की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर आहत को फेक्चर होने से आरोपी के विरुद्ध धारा—325 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, आहत एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 325 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा 313 का द.प्र.सं. के अर्न्तगत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया गया होना प्रकट किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है कि:-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—08.06.2011 को 01:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम छिन्दीटोला में लोकस्थान पर फरियादी नैनसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण उसे व दूसरो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत नैनिसंह को मारपीट कर जमीन पर पटक कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :--

- 5— फरियादी / आहत नैनसिंह (अ.सा.1) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी झुम्मुकलाल को जानता है। घटना आज से लगभग दो माह पूर्व सुबह 8—9 बजे की है। घटना दिनांक को वह दिलीप के साथ घर के पास पिरबिट्टी में बैठा था, तभी आरोपी शराब पीकर आया और उसे गंदी—गंदी गालियां देने लगा और उसके पैर को खूंद दिया और उसके द्वारा मना करने पर आरोपी ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके हाथ की कलाई में फ्रेक्चर हो गया। फिर उसे बुधराम ने उठाया और आरोपी वहां से भाग गया। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट बैहर थाने में जाकर की। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका डॉक्टरी मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे।
- 6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था, बिल्क दो दिन बाद रिपोर्ट किया था। उक्त रिपोर्ट लेख करने वाले प्रधान आरक्षक कानूसिंह खण्डाते (अ.सा.5) ने भी अपनी साक्ष्य में आरोपी के विरूद्ध फरियादी नैनसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर मामलें में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 लेख करना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 में यह लेख है कि फरियादी के द्वारा थाने में घटना की जानकारी दिए जाने पर रोजनामचा सान्हा

कमांक—298 दिनांक—11.06.11 दर्ज कराई गई थी और उसके पश्चात् आहत की एक्सरे रिपोर्ट दिनांक—20.06.11 को प्राप्त होने पर आहत के हाथ में फ्रेक्चर होने का लेख होने के आधार पर धारा—325 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। इस संबंध में रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी—7 भी पेश है।

- 7— जग्गूलाल वाघाड़े (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—11.06.11 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी नैनसिंह की मौखिक सूचना पर उसके द्वारा उक्त रिपोर्ट को सान्हा कमांक—298 दिनांक—11.06.11 को लेख किया गया था, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि आज वह अपने साथ कम्प्यूटर से निकलवाकर लेकर आया है। उक्त सान्हा कमांक का असल लेख जी.डी—300(ए) लेख किया था, जिसकी असल सत्यापित प्रति प्रदर्श पी—7 है, जिसकी नकल प्रदर्श पी—7 सी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत नैनसिंह को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बैहर भेजा था। दिनांक—20.06.11 को आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक—67 / 11, धारा—325 आरोपी झुम्मुकलाल के विरुद्ध में लेख किया था, जो प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आहत नैनसिंह की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् रिपोर्ट दर्ज की गई। ऐसी दशा में प्राथमिकी दर्ज किये जाने में हुए विलंब से अभियोजन का मामला प्रभावित होना प्रकट नहीं होता है।
- 8— आहत नैनसिंह के कथन का समर्थन करते हुए स्वतंत्र साक्षी बुधराम (अ. सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय नैनसिंह के घर के सामने सड़क पर आरोपी और प्रार्थी का झगड़ा हो रहा था। आरोपी ने प्रार्थी को पटक दिया था। उसने जाकर बीच—बचाव किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने आहत को पटक दिया था, उसके बाद वह पहुंचा था। यद्यपि साक्षी के घटना के तत्काल पश्चात् पहुंचकर घटना का वृत्तांत साक्षी ने पेश किया है, जिस कारण उसकी साक्ष्य सुसंगत है तथा उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन भी नहीं हुआ है।
- 9— डॉ. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक—11.06.2011 को सैनिक सुमेर सिंह क्रमांक—101, थाना बैहर द्वारा नैनसिंह पिता

सुकू उम्र—65 वर्ष, निवासी सिंधीटोला को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने आहत के शरीर पर निम्न चोटें पाई थी। चोट कमांक—1 उसकी बांई कलाई पर एक मुंदी हुई चोट थी, जो लाल रंग की है थी। चोट कमांक—2 उसके बांए पैर पर थी, जो मुंदी हुई लाल—नीले रंग की थी। उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किया है कि उसने आहत को चोट कमांक—1 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त दोनों चोटे किसी सख्त एवं बोथरे हथियार द्वारा पहुंचाई जाना प्रतीत होती थी और उसके परीक्षण के 4—6 घंटे के भीतर की थी। उक्त चोटें ठीक हो सकती थी, यदि उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत का एक्सरे परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के बांई कलाई पर अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उसके कथन का खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी घटना के समय आहत नैनसिंह को कलाई पर अस्थिभंग होने के कारण उसे घोर उपहति कारित होने की पृष्टि की है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी कानूसिंह खण्डाते (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—20.06.11 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक जग्गूलाल वाघाड़े के द्वारा नैनसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक—67/11, धारा—325 भा.द.वि. आरोपी झुमुकलाल के विरुद्ध में लेख किया गया था। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर नैनसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी नैनसिंह, साक्षी बुधराम, दिलीप के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक—20.07.11 को आरोपी झुमुकलाल को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारीपत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— चक्षुदर्शी साक्षी दिलीप कुमार धुर्वे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किये जाने पर उसके द्वारा अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को कोई समर्थन प्राप्त नहीं

होता है।

12— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में आहत नैनिसंह (अ.सा.1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 एवं उनके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप होना प्रकट नहीं होता है। अभियोजन के अन्य साक्षी बुधराम (अ. सा.2) की साक्ष्य से भी उक्त घटना का समर्थन होता है। घटना के समय आहत को आई घोर उपहति का समर्थन चिकित्सीय साक्षी ने अपने कथन में किया है।

13— प्रकरण में स्पष्ट रूप से आहत नैनसिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित रूप से अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है, बिल्क यह बताया है कि आरोपी को गाली—गलौज की थी। उक्त गाली—गलौज किन शब्दों के माध्यम से की गई, जिनसे कथित क्षोभ कारित हुआ, इसका खुलासा फरियादी ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षीगण ने भी कथित अश्लील शब्दों के उच्चारण के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अतएव स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय कथित अश्लील शब्दों के उच्चारण से फरियादी नैनसिंह व दूसरों को क्षोभ कारित किया है।

14— प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत नैनिसंह को उठाकर पटकने और उक्त आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था। सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति को उठाकर पटक देने से उसे अस्थिमंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी इस संभावना को जानता था कि आहत के उक्त प्रकार से उठाकर पटक देने से निश्चित रूप से घोर उपहित कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छ्या घोर उपहित की श्रेणी में आता है। आरोपी की ओर से आहत के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय आहत नैनिसंह ने आरोपी को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी के द्वारा उक्त उपहित कारित की गई। इस प्रकार आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 335 के उपबंध के अंतर्गत आपवादिक परिस्थिति का लाभ प्राप्त नहीं होता।

- 15— अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित रूप से अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने का कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा उक्त घटना के समय फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित करने के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी के द्वारा उक्त घटना के समय आहत नैनिसंह को जमीन पर पटककर हाथ की कलाई में अस्थिमंग कर स्वेच्छ्या घोर उपहित कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—325 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्व टहराया जाता है।
- 17— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात् –

- 18— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2011 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।
- 19— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—325 के अपराध के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/—(पांच सौ)

रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को पृथक से एक माह का कठोर कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी दिनांक-11.10.2012 से 20-दिनांक-12.10.2012 तक एवं दिनांक-31.08.2015 से दिनांक-07.09.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में है, उक्त अभिरक्षा की अवधि को मूल कारावास की अवधि में समायोजित किये जाने के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, ATTHORIST PROPERTY OF THE PARTY जिला-बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट